न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–280/2026
(खगड़िया थाना काण्ड संख्या 360/2025)
गंगा देवी एक अन्य – बनामे– राज्य

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

23.04.2026 **आदेश**

1. आवेदक/अभियुक्तगण **1. गंगा देवी एवं 2. रामभरोसा कुमार** की ओर से खगड़िया थाना काण्ड संख्या 360/2025, धारा 191(2),191(3),190,126(2),115(2),118(1),117(2),329(4), 109,352,351(2),351(3),3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बिपीन कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेश दास को सुना गया है। सूचिका की ओर से वकालतनामा एवं सूची के साथ जख्मी का फोटो दाखिल किया गया। काण्ड दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया कि आवेदकगण कोई अन्य जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है और न ही लम्बित है। आवेदकगण का स्वच्छ चरित्र है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे ग्रामीण राजनीति के कारण गलत रूप से इस वाद में संलिप्त किया गया है। धारा 109, 118(1) बी0एन0एस0 का आरोप आवेदकगण के विरूद्ध आकर्षित नहीं होता है तथा अन्य आरोपित धारायें जमानतीय है। घटनास्थल पर कोई घटना नहीं घटी है और न ही किसी भी व्यक्ति को नाजुक अंग पर कोई गम्भीर जख्म हुआ है तथा यह वाद सिर्फ साधारण मारपीट का है, जो जमानतीय है। उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभियोजन का मामला मुख्य रूप से यह है कि दिनांक 09.11.2025 को करीब 09.00 बजे रात्री में सूचिका अपने परिवार के साथ ग्राम तिरासी में डेरा लेकर पशु–पालन एवं खेती करती है। उसके ग्रामीण 1. दिलीप सहनी पिता श्रीलाल सहनी, 2.गंगा देवी पति दिलीप सहनी, 3. सुरज कुमार पिता दिलीप सहनी, 4.रामभरोस कुमार पिता श्रीलाल सहनी, 5.सपना कुमारी पिता दिलीप सहनी, 6.मंटुन कुमार ससुर दिलीप सहनी सभी साकिन तिरासी वार्ड नम्बर 13, थाना गंगौर, जिला

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-280/2026
(खगड़िया थाना काण्ड संख्या 360/2025)
गंगा देवी एक अन्य - बनाम- राज्य

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

लगातार,पेज-2
23.04.2026

खगड़िया देशी शराब बनाता है और घर पर बैठकर शराब पिलाता है। शराब पीने वाला गाली-गलौज करते हुये जाता है, मना करने पर उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने उसे एवं उसके पुत्र धीरज कुमार को बुरी तरह से लोहे के खंती एवं तेजधार कुदाल से सर पर मारा, जिससे मेरे पुत्र का ललाट कट गया। मुझे बायें हाथ एवं बायें हाथ की बिचली अंगुली तोड़ दिया। अंगुली एवं हाथ में स्टील लगाये। हम दोनों माँ बेटे ईलाज के लिये सदर अस्पताल खगड़िया गई तथा बेहतर ईलाज हेतु बेगुसराय हॉस्पीटल प्रा0लि0 गयी। घर में तीन पतोहु, दो पोता, पोती रह गया। दिनांक 10.11.2025 के रात्री में करीब 11.00 बजे पुनः सभी अभियुक्तगण एवं 8-10 अज्ञात व्यक्ति मिलकर देशी कट्टा लेते हुये मेरे घर के चारों तरफ से घेर लिया और घर में घुसकर तीन भरी सोने का जेवर एवं 85,000/-रूपये लूट लिया। मेरे दो पुतोह प्रिगनेट है एक छः माह एवं दूसरा पूर्ण माह की है जिसके पेट में पल रहे बच्चा को मारने हेतु दोनों को लाठी, डंडा से पेट में मारा।

5. अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर शराब बनाने एवं घर पर बैठाकर शराब पिलाने तथा उसका विरोध करने पर सूचिका एवं उसके पुत्र धीरज कुमार को लोहे के खंती एवं तेजधार कुदाल से मारकर जख्मी करने तथा घर में घुसकर तीन भर सोने का जेवर एवं 85,000/-रूपये लूटपाट कर लिये जाने एवं सूचिका के प्रेग्नेट पुतोहू को मारपीट करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी के कंडिका 3, 7, 8 एवं 44 में गवाहों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका 25 में आवेदिका गंगा देवी का एक अन्य केस गंगौर थाना काण्ड संख्या 17/15 धारा 272,273 भा0दं0वि0 एवं 47(ए) उत्पाद अधिनियम तथा सह-अभियुक्त दिलीप सहनी के विरूद्ध दो अन्य केस गंगौर थाना कांड संख्या 17/15 एवं 362/2025 दोनों उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत होना आया है, जिससे सूचिका के कथन एवं घटना कारित किये जाने के कारण की पुष्टि होती है। कंडिका 35 में पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित है जिसमें घटना को सत्य पाया गया है। कंडिका 44 में सदर अस्पताल खगड़िया से जख्म

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-280/2026
(खगड़िया थाना काण्ड संख्या 360/2025)
गंगा देवी एक अन्य - बनाम- राज्य

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

<u>लगातार,पेज-3</u>
23.04.2026

प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने तथा प्राप्त होने पर समर्पित करने की बात अंकित किया गया है। सूचिका की ओर से सूची के साथ जख्मी का फोटो दाखिल किया गया है जिसमें उसके ललाट पर कटा होना विदित होता है तथा सूचिका का भी आरोप है कि शराब बेचने का विरोध करने पर तेजधार कुदाल से मारा जिससे उसके पुत्र का ललाट कट गया, जिससे विदित होता है कि शराब के धंधे का विरोध किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा एकमत होकर घटना कारित किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध काण्ड अनुसंधान के क्रम में है।

अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुये आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण के इस अग्रिम जमानत आवेदन को अ**स्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धित)
23.4.26
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
खगड़िया।

Date of Judgment/Order	23-04-2026
Date of Reserving judgment/Order	———
Uploading Date	23.04.26
Uploaded by	Nikhil Kumar (D.Op)